¼ IiyXud&11½

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone&Fax:-0135-253154/2531072 **E-Mail-eicpwduk@nic.in**

Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः– 96 /76याता0 (क)–उ0/2017 दिनांकः 16मार्च, 2017

कार्यालय आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपने पत्रांक–29/CoRS/2014 PtII, दिनांक 10.08.2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–628/76याता क–उ0/2016, दिनांक 19.11.2016 द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश के क्रम में आदेशित किया जाता है कि मार्ग निर्माण/सुधार हेतु गठित किये जाने वाले ₹ 10 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं हेतु निम्न तीन चरणों में Road Safety Audit की कार्यवाही की जानी है।

1– मार्ग निर्माण/सुधार कार्य की डिजाइन/डी0पी0आर0 गठित करते समय Road Safety Auditor (RSA) से डिजाइन/डी0पी0आर0 का परीक्षण कराया जाय। परीक्षण में RSA द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश डी0पी0आर0 में अवश्य कर लिया जाय। डी0पी0आर0 में Road Safety Auditor द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश करने के पश्चात सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता इस आशय का प्रमाण पत्र डी0पी0आर0 में संलग्न करेगें कि RSA द्वारा दिये गये समस्त सुझावों के अनुसार प्राविधान डी0पी0आर0 में सम्मिलित कर दिये गये है।

2– निर्माण कार्यो की प्रगति के दौरान भी समय–समय पर Road Safety Auditor द्वारा Auditing करायी जानी है तथा Road Safety Auditor द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार कार्य कराया जाय।

3– कार्य पूर्ण होने के पश्चात अनुरक्षण के दौरान भी मार्ग की Performance को जांचने हेतु RSA से Audit कराया जाय तथा Road Safety Auditor द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन किया जाय।

Road Safety Auditor के empanelment हेतु विभागीय प्रक्रिया गतिमान है, तब तक अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त कर किसी Third Party Road Safety Auditor की सेवाएं प्राप्त कर ली जाय।

16/3/17

(एच0के0उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
4– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0मा0/UDRP/UEAP/USRIP।
6– मुख्य अभियन्ता, यू0एस0आर0आई0पी0/ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की Road Safety Audior के Empanelment के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
7– श्री के0पी0 उप्रेती, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
8– प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विंभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

16/3/17

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष